प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 30.08.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

सनातन धर्म सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, डॉ हेडगेवार सरस्वती शिशु मंदिर व पंडित दीन दयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं द्वारा पुलिस ऑफिस खीरी में पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी व अन्य पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया

आज दिनांक 30.08.2023 को रक्षाबन्धन के पावन पर्व के अवसर पर सनातन धर्म सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, डॉ हेडगेवार सरस्वती शिशु मंदिर व पंडित दीन दयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं द्वारा अपने-अपने स्कूल के अध्यापकों के नेतृत्व में पुलिस ऑफिस खीरी पहुँचकर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा; अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री नैपाल सिंह; क्षेत्राधिकारी सदर, श्री सन्दीप सिंह व पुलिस ऑफिस में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों को तिलक लगाने के पश्चात राखी बांधकर रक्षाबन्धन का त्यौहार मनाया गया।

थाना खमरिया पुलिस द्वारा, विभिन्न अभियोगों में कुल 05 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 29/30.08.2023 को थाना खमरिया पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों में कुल 05 नफर वारंटी अभियुक्तों राजेन्द्र, सोबरन, छोटे उर्फ कुन्नू उर्फ चूंचू, रामगोपाल व श्रीराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण-

1-राजेन्द्र पुत्र गया प्रसाद नि0 ग्राम सरैया थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 3498/17 मु0अ0सं0 44/98 धारा 323/324/504 भा0द0वि0 थाना ईसानगर)

2-सोबरन पुत्र गयाप्रसाद नि0 ग्राम सरैया थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 3498/17 मु0अ0सं0 44/98 धारा 323/324/504 भा0द0वि0 थाना ईसानगर)

3-छोटे उर्फ कुन्नु उर्फ चूँचू नि0 ग्राम समरदाहरी थाना खमरिया जनपद खीरी(वारंट वाद संख्या 550/16 मु0अ0सं0 278/2000 धारा 289/504 भा0द0वि0 थाना ईसानगर)

4-रामगोपाल पुत्र कल्लू पासी नि0ग्राम पकरिया थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 1816/17 मु0अ0सं0 200/96 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना ईसानगर)

5-श्रीराम पुत्र भरोसे नि0 ग्राम दुलही मजरा गैसापुर थाना खमरिया जनपद खीरी (वारंट वाद संख्या 3465/17 मु0अ0सं0 112/96 धारा 354 भादवि0)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुनील बाबू अवस्थी
2-उ0नि0 कृष्ण चन्द्र तिवारी
3-का0 रविन्द्र कुमार
4-का0 अरविन्द गौतम
5-का0 रवि यादव
6-का0 नरेन्द्र यादव

थाना ईसानगर पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त इस्लाम पुत्र ढोंगे को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2023 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा वाद सं0 2612/17 अ0सं0 105/93 धारा 379/411 भादवि में वारंटी अभियुक्त इस्लाम पुत्र ढोंगे नि0 कस्बा व थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-

इस्लाम पुत्र छोंगे नि0 ग्राम कस्बा व थाना ईसानगर जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी
2-का0 अंकित राठी

<u>पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने वाले श्री जयकरन सिंह प्रभारी निरीक्षक डायल 112 खीरी को पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा कंधों पर नये पद के सितारे लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।</u>

जनपद खीरी में नियुक्त श्री जयकरन सिंह प्रभारी निरीक्षक डायल 112 खीरी को वरिष्ठता के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्राप्त होने पर दिनांक 29.08.2023 को पुलिस अधीक्षक खीरी श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा कैम्प कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रमोशन पाने पर श्री जयकरन सिंह के कंधों पर नये पद के सितारे लगाकर उत्साहवर्धन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई तथा उनके उज्जवल भविष्य एवं दीर्घायु की कामना की गई।

<u>थाना हैदराबाद पुलिस टीम द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2023 को 01 नफर वारण्टी अभियुक्त श्रीकृष्ण पुत्र भिम्मा नि0ग्राम फूलबेहड थाना हैदराबाद जनपद खीरी सम्बन्धित एसटी नं0 544/08 अप0स0 1029/07 धारा 147/148/302/201 भादवि थाना हैदराबाद खीरी न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 न्यू लखीमपुर खीरी से प्राप्त वारण्ट के अनुपालन मे अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम फूलबेहड थाना हैदराबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

<u>गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त</u>

श्रीकृष्ण पुत्र भिम्मा नि0ग्राम फूलबेहड थाना हैदराबाद जनपद खीरी

<u>वारण्ट का विवरण</u>

एसटी नं0 544/08 अप0स0 1029/07 धारा 147/148/302/201 भादवि थाना हैदराबाद खीरी न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 न्यू लखीमपुर खीरी

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण</u>

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्रपाल सिंह थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
2. का0 संजय कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी ।
3. का0 संजीव कुमार थाना हैदराबाद जनपद खीरी।

थाना गोला पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30.08.2023 को थाना गोला पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 456/2023 धारा 457/376 डी भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र राजाराम नि0 वसलीपुर गदियाना थाना गोला जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु लखीमपुर खीरी भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार वाछिंत अभियुक्त

पंकज कुमार पुत्र राजाराम नि0 वसलीपुर गदियाना थाना गोला जनपद खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.निरी0 राहुल कुमार थाना गोला जनपद खीरी
2.का0 रामभूल वर्मा थाना गोला जनपद खीरी
3.का0 मोनू कुमार थाना गोला जनपद खीरी

<u>“मिशन शक्ति” अभियान के अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, जागरुकता एवं सामुदायिक पहुँच हेतु गोष्ठी का आयोजन</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद खीरी के समस्त थानों पर गठित एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/कस्बों/बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों/प्रमुख चौराहों/प्रमुख बाजारों/मन्दिर/शिवालयों/शापिंग मॉल आदि के आस-पास गश्त/चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के लिये जागरुक किया जा रहा है तथा उनकी सुरक्षा के सम्बंध में वार्ता कर संदिग्धों की चेकिंग कर आवश्यक हिदायत जा रही है। साथ ही समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांव, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थानों, मिशन शक्ति कक्ष पर बालिकाओं/महिलाओं की गोष्ठी करके उच्चाधिकारियों के नम्बर व नारी सुरक्षा/मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेलपलाइन 1930 तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारें में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर बिना कारण घूमने वाले लड़कों/शोहदों की चेकिंग की जा रही है तथा शपथ पत्र भरवाये जा रहे हैं।

इसी क्रम में दिनांक 30.08.2023 को थाना खमरिया, थाना मितौली, थाना ईसानगर, थाना मैगलगंज सहित विभिन्न थानों द्वारा क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं की गोष्ठी करके उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्गत मिशन शक्ति अभियान से संबंधित आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया तथा साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स एवं जरूरी सूचनाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जानकारियों सहित बुकलेट/पम्पलेट भी वितरित किया गया।

जनपद खीरी पुलिस एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय खीरी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत जनपद खीरी पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 30.08.2023 को मा0 न्यायालय खीरी द्वारा "एनडीपीएस एक्ट" के अभियोग में अभियुक्त को दंडित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

थाना गोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 535/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से संबन्धित अभियुक्त रामशंकर पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम जलालपुर थाना गोला जनपद खीरी को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, 150 अदद अवैध नशीली टैबलेट (अल्प्राजोलम) बरामद कर अभियुक्त सेवाराम पुत्र रामदयाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त सेवाराम पुत्र रामदयाल नि0 जरिया राजपुरबेनी थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 150 अदद अवैध नशीली टैबलेट (अल्प्राजोलम) बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोहम्मदी पर मु0अ0सं0 560/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

1-थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 558/23 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सलीम उर्फ सालिब पुत्र छिद्दू नि0 बैदा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2-थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 169/23 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शिववचन पुत्र परदेशी नि0 हजरतपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3-थाना भीरा पुलिस द्वारा, अ0सं0 409/18 धारा 60 आबकारी अधि0 में वारंटी अभियुक्त रामप्रसाद पुत्र को गिरफ्तार किया गया।

4-थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, अ0सं0 1182/23 धारा 290/294 भादवि में वारंटी अभियुक्त आबिद पुत्र इसलाम नि0 बेनीपुरवा थाना सिंगाही जनपद खीरी व अ0सं0 269/09 दारा 363/366 भादवि में वारंटी अभियुक्त बूटासिंह पुत्र गुरदीप सिंह नि0 मुर्तिहा थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 184 लीटर अवैध शराब बरामद कर 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>184 लीटर अवैध कच्ची शराब व 04 शराब भट्ठी</u>** बरामद कर **<u>14 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>13 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।